

कार्यवाही

कार्यवाही नगर निगम बोर्ड की बैठक दिनांक 30-07-2020 को समय 11:00 बजे पूर्वाहन
स्थान निरंकारी संत्सग भवन निकट सोमेश्वर मन्दिर गंगा नगर ऋषिकेश ।

उपस्थिति:-

1. श्रीमति अनिता ममगांई	महापौर
2. श्रीमति पुष्पा मिश्रा	पार्षद
3. श्रीमति रूपा देवी	पार्षद
4. श्रीमति प्रियंका यादव	पार्षद
5. श्रीमति शंकुन्तला शर्मा	पार्षद
6. श्री देवेन्द्र कुमार प्रजापति	पार्षद
7. श्री चेतन चौहान	पार्षद
8. श्री मनीष बनवाल	पार्षद
9. श्रीमति विजयलक्ष्मी	पार्षद
10. श्रीमति रीना शर्मा	पार्षद
11. श्री मनीष शर्मा	पार्षद
12. श्री भगवान सिंह पंवार	पार्षद
13. श्री राकेश सिंह	पार्षद
14. श्रीमति लता तिवाडी	पार्षद
15. श्री प्रभाकर शर्मा	पार्षद
16. श्री अजीत सिंह	पार्षद
17. श्री शिव कुमार गौतम	पार्षद
18. श्री राजेश कुमार	पार्षद
19. श्रीमति अनीता रैना	पार्षद
20. श्रीमति उमा बृजपाल राणा	पार्षद
21. श्रीमति रामअवतारी सुमित पंवार	पार्षद
22. श्रीमति राधा रमोला	पार्षद
23. श्री विकास तेवतिया	पार्षद
24. श्रीमति तनु विकास तेवतिया	पार्षद
25. श्री जयेश राणा	पार्षद
26. श्री शौकत अली	पार्षद
27. श्री लव काम्बोज	पार्षद
28. श्री गुरविन्दर सिंह	पार्षद
29. श्रीमति सुन्दरी कण्डवाल	पार्षद
30. श्रीमति रश्मि देवी	पार्षद
31. श्रीमति लक्ष्मी रावत	पार्षद
32. श्री विजय बडोनी	पार्षद
33. श्री गौरव कौशिक	पार्षद
34. श्री विपिन पन्त	पार्षद

35. श्री विजेन्द्र मोधा	पार्षद
36. श्री राजेन्द्र प्रेम सिंह बिष्ट	पार्षद
37. श्री जगत सिंह नेगी	पार्षद
38. श्रीमति शारदा	पार्षद

मा0महापौर महोदया पधारी एवं आसन ग्रहण किया । बैठक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्देश दिया । बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

श्री शिवकुमार गौतम, श्री विकास तेवतिया द्वारा यह कह कर विरोध किया गया कि एजेन्डा जारी करने से पूर्व सभी पार्षदों को प्रस्ताव दिये जाने हेतु सूचना क्यूँ नहीं भेजी गई? जिसका सभी पार्षदों द्वारा समर्थन किया गया । नगर आयुक्त द्वारा कहा गया कि कोविड-19 के कारण अल्प समय में बोर्ड बैठक आहूत किये जाने के कारण सूचना नहीं दी जा सकी । एजेन्डे में एक नोट दे दिया गया था कि जो पार्षद प्रस्ताव देना चाहेंगे एजेन्डे के मूल प्रस्तावों में सम्मिलित कर लिया जायेगा । जिस पर सम्मानित पार्षदों द्वारा कोविड जैसी विषम परिस्थियों के कारण सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी पार्षदों को 15 मिनट का समय अपने-अपने प्रस्ताव देने के लिए दिया जाय और उन्हें एजेन्डे के मूल प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाय । मापौर महोदया द्वारा स्वीकृति दी गई ।

श्री देवेन्द्र प्रजापति द्वारा शहर में फल व्यापारी की पिटाई का वायरल हो रहे वीडियो का मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि इस प्रकार की कार्यवाही से निगम की छवि धूमिल हो रही है जो कर्मचारी वायरल वीडियो में पिटाई करता नजर आ रहा है वह पार्षदों के साथ भी अभद्रता करता है जिसका समर्थन श्री विकास तेवतिया एवं श्री शिव कुमार गौतम द्वारा भी किया गया । श्री राकेश सिंह द्वारा कहा गया कि इस संबन्ध में 3 या 5 सदस्यों की एक समिति बनाई जाये जो इस पर रिपोर्ट दें , अब सदन में एजेन्डे पर कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए ताकि विकास कार्यों के मुद्दों पर चर्चा प्रभावित न हों । इस पर मेयर महोदया द्वारा कहा गया कि नगर निगम की मुखिया होने के नाते मेरे द्वारा उनसे व्यापक वार्ता कर ली गई है । कर्मचारियों के हितों को भी हमने ही देखना है । एक तरफा कार्यवाही से कर्मचारियों का मनोबल टूटता है । निगम के कर्मचारी रात दिन सेवा में लगे हैं । व्यापारियों से पुनः वार्ता कर मामला सुलझा लिया जायेगा । श्री प्रजापति द्वारा कहा गया कि एक समिति का गठन किया जाय । मेयर महोदया द्वारा कहा गया कि समिति का गठन कर दिया जायेगा ।

प्रस्ताव संख्या 1- (विशेष) नगर निगम ऋषिकेश का वर्ष 2020-21 का मूल बजट जो बोर्ड से स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकार है वास्ते अनुमोदनार्थ ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 2— मा0 महापौर का प्रस्ताव बावत शहर मे निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

1. शहर के सभी पार्को का सौंदर्यीकरण करवाना।
2. बरसात के दिनो मे जल भराव कि समस्या के निवारण हेतु नगर निगम क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम का सुदृढ एवं मजबूती प्रदान करना।
3. नगर निगम क्षेत्र में भारतीय सभ्यता की पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों का भव्यता पूर्वक व प्रमुखता से प्रदर्शित करने हेतु प्रयास।
4. मेरिन ड्राइव से लगे सभी घाटो का सौंदर्यीकरण एवं उनकी भव्यता हेतु व्यवस्था।
5. नगर निगम क्षेत्र के आस पास के क्षेत्रों मे जगली जानवरो से मुक्ति हेतु समुचित व्यवस्था करना।
6. नगर निगम क्षेत्र मे सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों को भू स्वामित्व हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।

उपबिन्दु 1 पर श्री विकास तेवतिया द्वारा कहा गया कि एम.डी.डी.ए. के पास बजट होता है प्रस्ताव स्वीकार कर एम.डी.डी.ए. को भेजा जाय। मेयर महोदया द्वारा कहा गया कि यह कार्य अमृत योजना से कराया जायेगा। सर्वसम्मति से स्वीकार।

उपबिन्दु 2 पर श्री मनीष शर्मा द्वारा कहा गया कि इस कार्य के लिए कोई टैक्निकल कम्पनी हायर की जाय। उनके द्वारा दिये गये प्लान के अनुसार कार्य किया जाय। कर अधीक्षक श्री रावत जी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि ड्रेनेज कार्य का प्लान तैयार हो गया है, इस कार्य को अमृत योजना से किया जायेगा। सर्वसम्मति से स्वीकार।

उपबिन्दु 3,4,5 सर्वसम्मति से स्वीकार।

उपबिन्दु 6 सर्व सम्मति से स्वीकार, संबन्धित विभाग के सचिव को पत्र भेजा जाय।

प्रस्ताव संख्या 3— श्री चेतन चौहान पार्षद वार्ड न0.6 का प्रस्ताव बावत निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

1. गोपाल नगर से ढालवाला पुल तक जाने वाले मार्ग पर बन्धे का निर्माण।
2. अमरीस होटल के पास वाली गली का निर्माण।
3. डायमण्ड होटल वाली गली का निर्माण।

उपबिन्दु 1 का प्रस्ताव सिंचाई विभाग को भेजा जाय।

उपबिन्दु 2 व 3 सर्वसम्मति से स्वीकार।

प्रस्ताव संख्या 4- अध्यक्ष ऋषिकेश स्पोर्ट्स डेवलपमेन्ट सोसाईटी गंगा नगर ऋषिकेश का पत्र जो निगम के 22 मा0 पार्षदों द्वारा सस्तुत है बावत हनुमन्त पुरम गली न0.3 व 4 के मध्य नगर निगम कि भूमि पर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बनाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

निर्माण अनुभाग को निर्देशित किया गया कि उक्त भूमि के स्वामित्व संबन्धी अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाय । उल्लिखित रकबे के अनुसार मौके पर निशानदेही सुनिश्चित कर ली जाय, कुल रकबे में से जितने पर काम्पलेक्स बनाया जाना है तथा शेष भूमि का समुचित स्थलीय उपयोग प्लान , निर्माण हेतु अपेक्षित व्यय व स्रोत तथा शासन स्तर से अपेक्षित अनुमतियों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्तुत करें ।

प्रस्ताव संख्या 5- श्री पी0 डी0 अग्रवाल महासचिव वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन ऋषिकेश (रजि0) का प्रार्थना पत्र बावत गोपाल कुटी धर्मशाला मे संगठन के निशुल्क कार्यकलाप हेतु दो कमरे आवंटन वास्ते विचार एवं निर्णय।

सर्वसम्मति से निरस्त।

प्रस्ताव संख्या 6- श्रीमती लता तिवारी पार्षद वार्ड न0.14 का प्रस्ताव बावत निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

1. रेलवे स्टेशन के समीप बट्टी-केदार मंदिर समिति की धर्मशाला के सामने चौराहे का नाम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी के नाम से करने और इस चौराहे पर नेताजी कि एक भव्य प्रतिमा लगवाकर सौन्दर्यकरण किया जाना ।
2. नगर निगम क्षेत्र मे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बने मार्गों पर लगे उनके नाम के शिलापट्टे लगाये जाना।
3. डायमण्ड होटल वाली गली का निमार्ण।

उपबिन्दु 1 व 2 सर्वसम्मति से स्वीकार । पार्षद महोदया द्वारा बताया गया कि उपबिन्दु 3 हमारे क्षेत्र का नही है उसे हटाया जाय ।

प्रस्ताव संख्या 7- श्रीमती पुष्पा मिश्रा पार्षद वार्ड न0.1 का प्रस्ताव बावत निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

1. श्री नागेन्द्र सिंह के धर से मुख्य मार्ग तक सी0सी0 सडक निर्माण ।
2. श्री नरेश शर्मा जी के धर से मुख्य मार्ग तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण ।
3. श्री रमाकांत राजभर के धर से श्री शुभम लाल के धर तक लोहे की ग्रिल लगाना ।
4. श्री तीरथराज जी के धर के साथ वाली गली से मुख्य मार्ग तक सडक निर्माण।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 8— श्रीमती रश्मि देवी पार्षद वार्ड न0 31 का प्रस्ताव बावत वापूग्राम मे निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

1. गली नं0.29 मे श्री शान्ति के घर से श्री लल्लन के घर तक नाली व सडक निर्माण।
2. गली नं0.29 श्री राम विलास के घर से श्री सतीश के घर तक नाली व सडक निर्माण।
3. गली नं0.29 मे श्री मुनमुन ठाकुर के घर के पीछे से श्री पूजन के घर तक नाली व सडक निर्माण।
4. गली नं0.29 मे श्री चरण जी के घर से श्री राजकुमार के घर तक नाली व सडक निर्माण।
5. गली नं0.29 की गली नं0.1 मे श्री सुरेश जी के घर तक नाली व सडक निर्माण।
6. सम्पूर्ण वार्ड के लिए बिजली के नये खम्भे व ब्रन्च केबिल का कार्य।
7. पंचायती धर मे स्थापित महापुरूषो की मूर्तियो पर टीन शैड व जीर्णधार कार्य।
8. पंचायती धर मे स्थापित श्री गोगाजी महाराज के मंदिर (मांडियो) पर टीन शैड कार्य।
9. पानी की लाईनो के बिछाने का कार्य।
10. सम्पूर्ण वार्ड की सफाई व्यवस्था हेतु सफाई कर्मचारियो की नियुक्ति किया जाना।
11. आस पास के ग्रामीण क्षेत्रो के बिजली व पानी के बिलो के भुगतान आदि के लिए पंचायती धर मे व्यवस्था किया जाना।
12. सम्पूर्ण वार्ड की गलियो के चिन्हिकरण हेतु बोर्ड पर गलियो के नाम व नम्बर लिखवाने का कार्य।

उपबिन्दु 1 से 8 व 12 सर्वसम्मति से स्वीकार।

उपबिन्दु 9 व 11 के लिए संबन्धित विभाग को पत्र भेजा जाय।

उपबिन्दु 10 स्वा0 निरीक्षक, जिस क्षेत्र में कर्मचारी अधिक हैं वहाँ से व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 9— श्रीमती राधा रमोला पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड संख्या 22 में निम्न लिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

1. समस्त गीतानगर, नंदू फार्म की रोड व नालियो का निर्माण।
2. सोमेश्वर नगर मे कमलेश्वर महादेव के सामने जोशी जी वाली रोड का निर्माण।
3. शास्त्री नगर मे श्री मेहरा जी के घर से श्री नेगी जी के घर तक साईड मे जाली व सडक निर्माण।
4. श्री बेलवाल के घर के आगे जाल निर्माण।
5. सोमेश्वर नगर मे श्री जोशी के घर से श्री रावत के घर तक सडक निर्माण।
6. शास्त्री नगर मे नाली निर्माण।

7. उग्रसैन नगर मे श्री राणा जी के धर के सामने एंव मॉर्निंगवैल स्कूल के पास सी0सी0 सडक निर्माण ।
8. बाला जी मंदिर से श्री साई मंदिर तक सी0सी0 सडक निर्माण ।
9. शास्त्री नगर मे श्री कुलियाल जी के धर से रोड तक सी0सी0 सडक निर्माण ।
10. श्री शाही के धर से रोड तक सी0सी0 सडक निर्माण ।
11. श्री विजय सेमवाल के धर से रोड तक सी0सी0 सडक निर्माण ।
12. गली नं0 2.1 मे नालियो का निर्माण ।
13. सोमेश्वर नगर मे कमलेश्वर महोदव मंदिर के सामने सडक निर्माण ।
14. सोमेश्वर नगर मे गली न0 2,3 मे नालियो का निर्माण ।
15. सोमेश्वर नगर गली नं0 8 मे सामुदायिक केन्द्र का निर्माण ।
16. गीतानगर, मिश्राफार्म, नदूंफार्म मे नालियो का निर्माण ।
17. मिश्रा फार्म गली नं0 3 मे सी0सी0 सडक, नाली निर्माण ।
18. नदूं फार्म, उग्रसैन नगर मे बस स्टॉप का निर्माण ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 10— श्री जगत सिंह नेगी पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड नं0.39 मे निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एंव निर्णय ।

1. इन्दिरा नगर विस्थापित कालोनी मे बंचकेबिल लगाने का कार्य ।
2. वार्ड के समस्त चौराहो पर सी0सी0 टी0वी0 लगाने का कार्य ।

उपबिन्दु 1 सर्वसम्मति से स्वीकार । विद्युत विभाग को भेजा जाय ।
उपबिन्दु 2 सर्वसम्मति से स्वीकार । जिन वार्डों के चौराहों पर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाने से छूट गये है उनमें भी लगाये जाये । जिस कम्पनी से कैमरे क्रय किये जायें उसे ही 1 साल के मेन्टिनेन्स का कार्य भी सौंपा जाये ।

प्रस्ताव संख्या 11— श्री विजेन्द्र मोधा पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 37 मे निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एंव निर्णय ।

1. वार्ड की समस्त कच्ची सडको का निर्माण ।
2. श्री गुनसोला जी के धर से श्री मोनी शर्मा के धर तक नाली निर्माण ।
3. मंशा देवी मंदिर से लेकर श्री सिलस्वाल जी के धर तक सडक निर्माण ।
4. वार्ड की समस्त गलियो मे साईन बोर्ड लगाया जाना ।
5. सफाई व्यवस्था हेतु 2 कर्मचारी स्थाई रूप से कार्य पर लगाये जाये ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 12— श्रीमती शारदा देवी पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं० 40 मे निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. नेहरू ग्राम मे श्री अग्रवाल जी, श्री अमित जी वाले मोड पर नाला निर्माण ।
2. नेहरू ग्राम मनेरीभाली, टी०एच०डी०सी० गेट रोड पर समस्त क्षतिग्रस्त नालियो का निर्माण ।
3. नेहरू ग्राम मे श्री शेर सिंह जी के घर के पास लगा बिजली का पोल बदलना
4. वार्ड मे 2 स्थानो पर ओपन जिम लगाया जाना ।
5. वाईपास रोड से टी०एच०डी०सी० होते हुए नेहरूग्राम आने वाली रोड पर भव्य द्वार बनाया जाना ।
6. विकलांग प्रमाणपत्र बनाये जाने हेतु कैम्प लगाया जाना ।

पार्षद महोदया द्वारा बताया गया कि बिन्दु 1 का कार्य हो चुका है । उपबिन्दु 2 से 5 सर्वसम्मति से स्वीकार । उपबिन्दु 6 के लिए समाज कल्याण विभाग/सी.एम.ओ. को पत्र लिखा जाये ।

प्रस्ताव संख्या 13— श्री राकेश बिजल्वाण एवं राकेश उनियाल आदि 9 लोगो का प्रार्थनापत्र बावत अमित ग्राम गली नं० 10 मे सी०सी० सडक निर्माण वास्ते विचार एवं निर्णय ।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह कार्य वार्ड नं० 36 का है । सम्बन्धित पार्षद द्वारा ही प्रस्ताव आना चाहिए । प्रस्ताव निरस्त ।

प्रस्ताव संख्या 14— श्री अनुसूइया प्रसाद कुकरेती पुजारी चित्रगुप्त कृष्ण मंदिर गोपाल कुटी नगर निगम, ऋषिकेश का पूजा भत्ता बढाये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

सर्वसम्मति से पूजा भत्ता 5000/-रु० मासिक दिया जाना स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 15— अध्यक्ष/महामंत्री, तीर्थ पुरोहित समिति, रजि० ऋषिकेश का पत्र बावत त्रिवेणी घाट पर वर्षा, धूप एव सर्दी से वचाव हेतु त्रिवेणी घाट पर निर्मित हाल तीर्थ पुरोहित समिति ऋषिकेश को आवंटित कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

सर्वसम्मति से प्रस्ताव निरस्त ।

प्रस्ताव संख्या 16— श्री आनन्द सिंह तडियाल सहा० प्रभारी उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ऋषिकेश इकाई का पत्र बावत आई०डी०पी०एल० टॉउनशिप को नगर निगम मे शामिल करने वास्ते विचार एवं निर्णय।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया , इनके अतिरिक्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत ,शासन को पत्र भेजा जाय ।

प्रस्ताव संख्या 17— प्रधानाध्यापक श्री शीतल शर्मा का पत्र बावत जो श्री विजेन्द्र मोधा पार्षद द्वारा संस्तुत है बावत राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंशादेवी मे अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण वास्ते विचार एवं निर्णय।

शिक्षा विभाग को पत्र भेजा जाय ।

प्रस्ताव संख्या 18— श्री कमलेश्वर प्रसाद रतूडी आदि पुत्र एवं पुत्रीगण स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी स्व० श्री पुरुषोत्तम दत्त रतूडी का पत्र बावत स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी स्व० श्री पुरुषोत्तम दत्त रतूडी को निगम द्वारा उचित सम्मान दिये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित पार्षद द्वारा ही प्रस्ताव आना चाहिए । प्रस्ताव निरस्त ।

प्रस्ताव संख्या 19— श्री आशुतोष शर्मा निदेशक, गढवाल मण्डल विकास निगम लि० का पत्र बावत कोविड-19 सक्रमण से लडने वाले हमारे सफाई कर्मचारियो को आर्थिक प्रोत्साहन राशि दिये जाने के सबंध मे विचार एवं निर्णय।

बोर्ड फन्ड में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण सर्वसम्मति से प्रस्ताव निरस्त ।

प्रस्ताव संख्या 20— ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी का पत्र जो निगम के कुछ मा० पार्षदो द्वारा भी हस्ताक्षरित है बावत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व० श्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर छतरी व सौन्दर्यकरण कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 21— श्री विजय बडोनी का पत्र जो कुछ मा० पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित है बावत हमारे महापुरुष प० दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति का सौन्दर्यकरण कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 22— कार्यालय आख्या पेंशन अनुभाग बावत नगर निगम ऋषिकेश मे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन सुविधा एवं भविष्य निधि नियमावली/उप विधि के गजट नोटिफिकेशन प्रकाशन हुतु कार्यकारिणी गठित किये जाने हेतु विचार एवं निर्णय।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 23— कार्यालय आख्या कर अनुभाग बावत वित्त वर्ष 2019—2020 में आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर में 50 प्रतिशत तक कि छूट प्रदान किये जाने की मा0 महापौर की घोषणा का बोर्ड द्वारा अनुमोदन।

सर्वसम्मति से स्वीकार । इसके अतिरिक्त श्री विकास तेवतिया द्वारा कहा गया कि मा0 महापौर महोदया की घोषणा का सदन स्वागत करता है किन्तु यह छूट 75 प्रतिशत की जाय जिसका समर्थन नेता प्रतिपक्ष श्री मनीष शर्मा तथा लगभग सभी पार्षदों द्वारा भी किया गया । नगर आयुक्त द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इतनी अधिक छूट नहीं दी जा सकती है । बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वित्त वर्ष 2019—20 की भाँति वित्त वर्ष 2020—21 में भी 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाती रहे । श्री गौतम द्वारा कहा गया कि अनावासीय सम्पत्तियों में भी कर में छूट की घोषणा की जाय ,सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कॉमर्शियल भवनों में वित्त वर्ष 2020—21 में 15 प्रतिशत की छूट दी जाय ।

प्रस्ताव संख्या 24— कार्यालय आख्या किराया अनुभाग बावत सर्किल रेट से निर्धारित दुकान किराये के पूर्व से लम्बित प्रकरण वास्ते विचार एवं निर्णय।

कर अधीक्षक द्वारा बताया गया कि नगर निगम की दुकानों का सर्किल रेट से किराया निर्धारण की पत्रावली वर्ष 2014 से गतिमान है , पूर्व में भी पालिका बोर्ड व निगम बोर्ड बैठकों में सदन के सम्मुख निर्णय हेतु रखा गया किन्तु अन्तिम निर्णय के अभाव में उक्त संशोधित किराया लागू नहीं किया जा सका है साथ ही जनवरी 2019 से निगम दुकान किराया वसूली पूर्णतः बन्द है जिस कारण निगम राजस्व वसूली अवरूद्ध हो गई है जिस पर यथा शीघ्र निर्णय लिया जाना उचित होगा । साथ ही सिक्मी किरायेदारों की स्थिति से होने वाली राजस्व हानि को बचाये जाने हेतु प्रस्ताव पढकर सुनाया गया । कुछ सम्मानित पार्षदों द्वारा किराया बहुत अधिक होने का मामला उठाया गया तथा कुछ दुकानों का सडकवार संशोधित किराया जानना चाहा । जिस पर पूर्व से गतिमान कार्यवाही दुकान किराये, एवं नामान्तरण संबन्धी कार्यालय प्रस्ताव कर अधीक्षक द्वारा पढकर सुनाया गया , जिस पर सदन द्वारा सहमति व्यक्त

करते हुए नियत अवधि में दुकान किराया जमा कराने पर 40 प्रतिशत की छूट दी जाय तथा मियादोपरान्त 12.00 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित किराया वसूला जाय की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यालय प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 25— कार्यालय आख्या स्वास्थ्य अनुभाग बावत गोविन्द नगर अवस्थित लिगेसी वेस्ट पी0 सी0 बी0 की निर्धारित दरों के अनुसार निस्तारण हेतु व्यय वास्ते स्वीकृति।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 26— कार्यालय आख्या स्वास्थ्य अनुभाग बावत स्वच्छ भारत मिशन के गाइडलाइन के अनुसार डोर टू डोर सेग्रिगेसन हेतु नागरिकों को 10-10 ली0 के 2 डस्टबिन प्रदान किये जाने हेतु क्रय स्वीकृति।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 27— कार्यालय आख्या स्वास्थ्य अनुभाग बावत स्वच्छ भारत मिशन के गाइडलाइन के अनुसार डोर टू डोर सेग्रिगेसन कूड़ा कलेक्शन हेतु प्रत्येक वार्ड में कूड़ा गाड़ी पहुँचाये जाने हेतु 10 नग छोटे कूड़ा वाहन क्रय किये जाने वास्ते विचार एवं स्वीकृति ।

सर्वसम्मति से स्वीकार एवं निर्णय लिया गया कि इसके अतिरिक्त 5 ई-रिक्सा भी क्रय किये जायें ।

प्रस्ताव संख्या 28— कार्यालय आख्या स्वास्थ्य अनुभाग बावत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य, गाड़ियों में जी0पी0एस0 व आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पहुंच सुनिश्चित करवाये जाने, कूड़ा सेग्रिगेट प्रोत्साहन, प्रचार-प्रसार तथा निस्तारण हेतु कार्य आउटसोर्स से किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 29— कार्यालय आख्या स्वास्थ्य अनुभाग बावत नगर निगम क्षेत्र में पालतू/आवारा जानवरो के रजिस्ट्रेशन के संबन्ध में बाइलाज बनाये जाने वास्ते विचार एवं स्वीकृति।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 30— कार्यालय आख्या कर अनुभाग बावत पूर्व में नगर पालिका परिषद द्वारा यूनिपोल लगाये जाने की 15 वर्षों हेतु दी गई अनुमति निरस्त करने एवं नये सिरे से टेन्डर की कार्यवाही किये जाने वास्ते स्वीकृति ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

इसी क्रम में श्री जयेश राणा द्वारा कहा गया कि श्री दीप शर्मा के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जाँच कराई जाये । श्री मनीष शर्मा द्वारा कहा गया कि पत्राचार एवं कार्यवाही भी हुई थी तथा यह प्रस्ताव पूर्व में बोर्ड में पास हुआ है । श्री विपिन पन्त द्वारा कहा गया कि श्री आर० के० गुप्ता द्वारा जो भूमि निगम को दान में दी गई थी उसकी जाँच होनी चाहिए वह भूमि कहाँ है । जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया । प्रश्नगत मामले में निगम स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संबन्धित अनुभागों को निर्देशित किये जाने का अनुमोदन हुआ ।

मा० महापौर महोदया की अनुमति एवं सदन की सर्वसम्मति पर मूल एजेन्डे में शामिल किये गये प्रस्ताव ।

प्रस्ताव संख्या 31— श्रीमति रूपा देवी पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं० 2 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. चन्द्रभागा पुल से लेकर चन्द्रेश्वर मन्दिर के बैंक साइड तक सडक का निर्माण ।
2. त्रिवेणीघाट में राजू फलावर सेन्टर के पहली मंजिल पर चढने के लिए सीढियों का निर्माण ।
3. विश्वकर्माचौक पर टूटे हुए सार्वजनिक शौचालय का नव निर्माण कर चालू किया जाना ।
4. विश्वकर्माचौक के शौचालय के पिछले भाग से लेकर रमेश पेंन्टर व राकेश मेहरा के घर से लेकर गंगाघाट नगर निगम शौचालय तक नाली निर्माण ।
5. चन्द्रेश्वर नगर के प्रत्येक मकान का भवन कर लगाना ।
6. चन्द्रभागा पुल से लेकर ढाल तक हाईवे के किनारे टाइल की सडक का निर्माण ।

सर्वसम्मति से स्वीकार । बिन्दु 2 यदि निगम की सम्पति है तो जाँचोपरान्त स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 32— श्री लव काम्बोज पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं० 28 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. वार्ड संख्या 28 वीरपुर खुर्द में पंचायत घर, रंभा नदी और नहर से घिरा भू-खण्ड जिसे भू-माफिया कब्जाने की फिराक में है जो वन विभाग/राजस्व की बताई जा रही है खसरा नं० 90 जलमग्न भूमि के नाम से दर्ज है का सीमांकन कराकर दीवार का निर्माण कराकर निगम की सम्पति का बोर्ड लगाया जाये ।

2. स्व0 ईलम सिंह के घर से रंभा नदी के समानान्तर पंचायत घर तक लगभग 600 मीटर लम्बी एवं 20 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण ।
3. वार्ड संख्या 28 में कोरोना काल मे मदद से वंचित परिवारों का सर्वे कराकर सूचना मदद हेतु सरकार को पहुंचाना ।
4. जिन परिवारों के राशन कार्ड नहीं बने हैं कार्ड बनाने की प्रकृया का सरलीकरण करते हुए राशन कार्ड बनाये जायें ।
5. वीरभद्र चौराहा (वाटर इन्टेक) से श्री राजेन्द्र गिरी के घर तक डामरीकृत रोड का चौड़ीकरण किया जाना ।
6. वीरपुर खुर्द में शहीद मनीष थापा के परिवार को सरकार द्वारा रंभा नदी के किनारे आवंटित भूमि का सीमांकन कराकर थापा के परिवार कब्जा सौंपा जाना ।

बिन्दु 1, 2 व 5 सर्वसम्मति से स्वीकार । बिन्दु 3 निरस्त ।

बिन्दु 4 के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र भेजा जाय ।

बिन्दु 6 के लिए उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को अपेक्षित कार्यवाही हेतु पत्र लिखा जाय ।

प्रस्ताव संख्या 33— श्री संजय बहुगुणा एवं रजनी अग्रवाल का पत्र जो लगभग 15 सम्मानित पार्षदों द्वारा संस्तुत है तथा जिस पर मा0 मुख्यमन्त्री उत्तराखण्ड के नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं बावत आई.एस.बी.टी. स्थित इन्हे आवंटित क्योस्क संख्या10,19,20,16 की निगम द्वारा प्राप्त की गई धनराशि को क्योस्क संख्या 19,20 में समायोजित कर सौंपे जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही प्रस्तुत की जाय ।

प्रस्ताव संख्या 34 – महापौर महोदया का प्रस्ताव बावत नगर निगम चर्चा ऋषिकेश की डॉट काम पोर्टल में प्राप्त नवोनमैसी एवं रचनात्मक सुझाव कि " नगर निगम ऋषिकेश में शामिल ग्रामीण क्षेत्र में भवन नम्बर की व्यवस्था हो । बिना भवन नम्बर के न डाक सही जगह पहुँचती है न किसी को सही पता दे सकते हैं , इसलिए मेरा सुझाव यही है कि भवन नम्बर आवंटित किये जायें । " पर एवं श्री दीपक निवासी-31 बापू ग्राम,मो0नं0-8218864115 को नगर हित में रचनात्मक सुझाव दिये जाने पर सम्मानित किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ कि नियमानुसार निविदा प्रक्रिया द्वारा कार्य कराया जाय ।

प्रस्ताव संख्या 35— श्री गुरविन्दर सिंह पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 29 मे निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. 3-डी सड़क के दोनो तरफ नाली निर्माण ।

2. प्रभू टेकेदार के घर से नेंगी गुरु जी के घर तक सी.सी.सडक व नाली निर्माण ।
3. मुन्ना लाल के घर से हरि सिंह के घर तक सी.सी.सडक व नाली निर्माण ।
4. गली नं02 में राम दुलारी के घर से लाखन चौधरी के घर तक सी.सी.सडक व नाली निर्माण ।
5. धर्म सिंह के घर से बहादुर के घर तक नाली निर्माण ।
6. गली नं0 12 में लगभग 200 मी0 सी.सी.सडक व नाली निर्माण ।
7. पिछली बैठक में 20 बिजली पोल का प्रस्ताव दिया था किन्तु पोल नहीं लगे ।
8. बीस बीघा मेन सडक जो पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा 6 माह पहले बनाई गई थी उस सडक पर जगह जगह गढ़े हो गये है पी0डब्ल्यू0डी0से ठीक कराई जाये ।
9. क्षेत्र के चौराहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जायें ।
10. गली नं0 9 का टैण्डर शीघ्र कराया जाये ।

उपबिन्दु 1-7 एवं 9-10 सर्वसम्मति से स्वीकार ।

उपबिन्दु 8 में संबन्धित विभाग को शीघ्र पत्र भेजा जाये ।

प्रस्ताव संख्या 36 – श्रीमति सुन्दरी कण्डवाल पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 30 मे निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. गली नं0 4 डोगरा जी के घर से रावत फर्नीचर वाले की दुकान तक सडक व नाली निर्माण ।
2. श्री गुरविन्दर सिंह पार्षद जी के घर से मन्दिर तक सी.सी.सडक व नाली निर्माण ।
3. सरला बाँठियाल के घर से हुक्म सिंह जी के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
4. राजकुमारी के घर से सब्बल सिंह के घर तक सी.सी.सडक व नाली निर्माण ।
5. 15 बिजली के पोल जो पिछली बोर्ड बैठक में भी पास थे लगाये जाये ।
6. मीरानगर मुख्य मार्ग का सौन्दर्यकरण व मुख्य द्वार का निर्माण ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 37 – श्री अजीत सिंह पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 16 मे निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. आदर्श नगर एवं हरिद्वार रोड पर सडक किनारे टाइल्स लगाने का कार्य ।
2. गोविन्द नगर में नाले का निर्माण जिससे तिलक रोड एवं गोविन्द नगर का पानी ट्रेचिंग ग्राउन्ड में न जाये ।
3. आदर्श नगर में नाले का निर्माण ।
4. गोविन्द नगर में लगे ट्रेचिंग ग्राउन्ड वाले गेट को बन्द कराया जाये ।
5. व्यावसायिक दरों में भी 50 प्रतिशत की छूट दी जाये ।

6. वार्ड की सभी गलियों में गली नम्बर व उस गली के मकान नम्बर के बोर्ड लगाये जायें ।

बिन्दु 1-4 व 6 सर्वसम्मति से स्वीकार ।

बिन्दु 5 पर निर्णय लिया जा चुका है ।

प्रस्ताव संख्या 38 – श्री जयेश राणा पार्श्व का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 26 शिवाजी नगर में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. वार्ड संख्या 26 शिवाजी नगर प्राथमिक स्कूल के सामने और उसके पास खाली भूखण्ड पर भू-माफिया फर्जी कागजात तैयार कर कब्जे की तैयारी कर रहे है यह भूमि वन विभाग की बताई जा रही है परन्तु सुरक्षा करना नगर निगम का भी दायित्व है । अवैध कब्जे से बचाने के लिए संयुक्त टीम से सीमांकन कर वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर जल संस्थान से स्वीकृत नलकूप का निर्माण कराया जाय अवशेष भूमि पर सामूदायिक केन्द्र ,इन्डोर गेम एवं दुकानो का निर्माण कराया जाय ।
2. वार्ड संख्या 26 शिवाजी नगर कोरोना आपदाकाल में मदद से वंचित परिवारों एवं राशनकार्ड विहीन परिवारों का सर्वे कराकर सरकार से देय मदद पहुँचाई जाये ।
3. जिन परिवारों राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके राशन कार्ड बनाये जायें, फर्जी राशन कार्डों की जाँच कर निरस्त किये जाये ,कुपात्रों के राशन कार्ड निरस्त कर पात्र परिवारों के सफेद/गुलाबी राशन कार्ड बनाये जायें ,राशनकार्ड बनाने का सरली करण किया जाये ।
4. मुर्गी फार्म तिराहे का सौन्दर्यकरण,सडक चौडीकरण,हाईमास्ट लाईट लगाई जाये । बापूग्राम और शिवाजी नगर को जोडने वाली पुलिया का चौडीकरण व निर्माण तथा इस स्थान पर किसी महापुरुष की मूर्ति की स्थापना की जाये ।
5. मुख्य सडक एम्स से शिवाजी नगर पुलिया तक सडक का चौडीकरण और नाली निर्माण तथा इसी रोड पर प्राथमिक स्कूल के पास आधुनिक स्वागत द्वार का निर्माण ।
6. गली नं0 18 श्री दीवान सिंह के घर से श्री रमेश सिंह रावत के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
7. गली नं0 19 में श्री राजू नेंगी के घर से श्री भारती राणा के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
8. गली नं0 21 में श्री राजेन्द्र गौतम के घर से श्री भगवती प्रसाद के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
9. गली नं0 25 में उपगलियां ए से जे तक सडक व नाली निर्माण ।
10. गली नं0 20ए में श्री अजय गुप्ता के घर से श्री बृजेश गुप्ता के घर तक सडक व नाली निर्माण ।

11. पंचायतघर बापूग्राम में निगम के मुलाजिम की तैनाती की जाय ।

बिन्दु 1 , व 4 से 11 तक सर्वसम्मति से स्वीकार ।

बिन्दु 2 निरस्त ।

बिन्दु 3 के लिए उपजिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी को पत्र भेजा जाय ।

प्रस्ताव संख्या 39 – श्री विजय बडोनी पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 33 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. गली नं0 14बी में सी0सी0सडक व नाली निर्माण ।
2. गली नं0 14बी में सी0सी0सडक व नाली निर्माण ।
3. गली नं0 3 में मृत्युंजय महादेव की गली के प्रारम्भ में भव्य गेट का निर्माण ।
4. नगर निगम में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी नया निर्माण करने के लिए पार्षदों की अनुमति अनिवार्य ।
5. आई.डी.पी.एल.सिटीगेट पर हाई मास्ट लाईट लगाना ।
6. रिहायशी इलाको से मोबाइल टावरों को हटाने तथा इनकी जगह छोटे टावर जो गवर्नमेन्ट एप्रुवल हों लगाये जायें ।
7. मुख्य मार्ग हरिद्वार रोड निकट बापू ग्राम रोड के पास डिवाइडर का निर्माण करके आगे सिटीगेट तक मिलाना ।

बिन्दु 1 , 2 , 3, 5 व 7 सर्वसम्मति से स्वीकार ।

बिन्दु 4 विशेष परिस्थिति को छोड़कर संबन्धित पार्षदों के प्रस्तावों पर स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

बिन्दु 6 मोबाइल टावरों की जाँच की जाये । जो टावर बिना अनुमति के लगे हैं उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये ।

प्रस्ताव संख्या 40 – श्रीमति ज्योति अशोक पासवान पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 25 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. आवास विकास में केशव पार्क व शिव पार्क में हाईमास्ट लाईट लगाना ।
2. वार्ड के विभिन्न स्थानों पर सीवर लाइन डालना ।
3. वार्ड 25 में विभिन्न स्थानों पर भूमिगत नाला बनाया जाना ।
4. वीरभद्र मार्ग स्थित सामुदायिक भवन की रंगाई ,पुताई ,मरम्मत व अन्य कार्य कराना ।
5. वार्ड में सफाई कर्मचारी बढ़ाये जाना ।
6. वार्ड में घरों का कूड़ा उठाने हेतु स्वच्छता समिति का गठन ।

बिन्दु 2 के लिए संबन्धित विभाग को पत्र भेजा जाय ।

बिन्दु 1,3,4,5 व 6 सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 41 – श्रीमति प्रियंका यादव पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 3 मे निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. वेदान्त साधना कुटीर आश्रम से दुर्गामन्दिर तक मुख्य मार्ग की नाली नाली का पुनर्निर्माण ।
2. गुरुद्वारे के पीछे विश्वनाथ के मकान से सन्तराज के मकान तक सडक व नाली निर्माण ।
3. प्रदीप गुप्ता के घर से नमामि गंगे प्लान्ट तक भूमिगत नाली व सडक निर्माण ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 42 – श्री विरेन्द्र सिंह रमोला पार्षद का प्रस्ताव जो श्री शिव कुमार गौतम द्वारा प्रस्तुत है बावत वार्ड सं0 36 मे निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. गली नु0 31 की ब्रॉच गली में श्री नारदानन्द सेमवाल के घर से पुष्पा के घर तक तथा रामगोपाल शास्त्री के घर से दलवीर सिंह रावत के घर तक सी0सी0सडक व नाली निर्माण ।
2. गली नं0 28 में रवि कौशिक के घर से रवि उनियाल के घर तक सी0सी0सडक व नाली निर्माण ।
3. गली नं0 5 में सूरज नौटियाल के घर गायत्री देवी के घर तक नाली निर्माण ।
4. गली नं0 10 की ब्रॉच गली में उमेद सिंह रावत के घर से भगवान सिंह रावत के घर तक सी0सी0सडक व नाली निर्माण ।
5. चीनी गोदाम मार्ग गली नं0 11 की ब्रॉच गली में भट्ट जी के घर से सब्बल सिंह राणा के घर तक सी0सी0सडक व नाली निर्माण ।
6. चीनी गोदाम मार्ग गली नं0 12 में सत्य प्रकाश ममगाई के घर से अजय डंगवाल के घर तक सी0सी0सडक व नाली निर्माण ।
7. जंगलात मार्ग गली नं0 8 में हरीश बॅगवाल के घर से सुषमा रमोला के घर तक सी0सी0सडक व नाली निर्माण ।
8. गली नं0 14 में मनोज गुंसाई के घर से आश्रम तक सी0सी0सडक व नाली निर्माण ।
9. बाईपास हरिद्वार मार्ग शिव मन्दिर से चीनी गोदाम रोड तक फुटपाथ निर्माण ।
10. गली नं0 10 में 200 वर्गगज खाली भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण ।
11. वार्ड नं0 36 में गलियों के बाहर साइन बोर्ड की व्यवस्था ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 43 – श्रीमति मीनक्षी बिरला पार्षद का प्रस्ताव जो श्री शिव कुमार गौतम द्वारा प्रस्तुत है बावत वार्ड सं0 13 मे निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. मुन्नालाल के घर से भण्डारी के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
2. चौराहों के सौन्दर्यकरण के तरज पर वाल्मिकी चौक का निर्माण ।
3. दीपक के घर से मुकेश यादव के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
4. गुड्डू भगत के घर से अमित हवलदार के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
5. विनोद के घर से गोविन्द के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
6. समस्त सफाई कर्मचारियों की दिन बदल-बदल कर महीने में चार छुट्टी ।
7. मोहल्ला स्वच्छता समिति सफाईकर्मों के मानदेय में वृद्धि ।
8. गली नं0 7,8, व 9 में पानी की पाईप लाईन डालना ।

बिन्दु 1 से 6 सर्वसम्मति से स्वीकार ।

बिन्दु 7 में नियमानुसार कार्यवाही की जाये ।

बिन्दु 8 के लिए संबन्धित विभाग को पत्र भेजा जाये ।

प्रस्ताव संख्या 44 – श्रीमति रामअवतारी सुमित पंवार पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 21 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. कठैत मोहल्ला में गुसाई जी के घर से मनूडी जी के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
2. वार्ड नं0 21 में गली नं0 7 से थपलियाल जी के घर तक नाले का पुनर्निर्माण ।
3. गली नं0 8 में राणा जी के घर से विपिन जी के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
4. अपर गंगानगर गली नं0 4 व 5 में सडक व नाली निर्माण ।
5. गली नं0 5 में साधुराम जी के घर से नेंगी जी के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
6. गली नं0 7 में अमीर चन्द जी के घर से कृडियाल जी के घर तक सडक व नाली में स्लैव व जाल निर्माण ।
7. गली नं0 में अरविन्द रावत जी के घर से गैरोला जी के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
8. वार्ड नं0 21 में डोभाल जी के घर से राधेश्याम पटवा जी के घर तक सी0सी0सडक,नाली पर स्लैव व जाल ।
9. गली नं0 3 में प्रदीप जी के घर से सीमा खुराना जी के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
10. वार्ड नं0 21 में कस्तूरी जी के घर से खोसला जी के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
11. वार्ड नं0 21 में थपलियाल जी के घर से पयाल जी के घर तक सडक निर्माण ।

12. वार्ड नं0 21 में पयाल जी के घर से गुड्डू जी के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
13. वार्ड नं0 21 में छोकरा जी के घर से चमोली जी के घर तक सडक व नाली निर्माण ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 45 – श्री शिव कुमार गौतम पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 17 मे निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. गंगाविहार साईं घाट पर पाकिंग व शौचालय का निर्माण ।
2. वार्ड नं0 17 हरिद्वार रोड पर ट्रक यूनियन के सामने वाली सीढियों का निर्माण ।
3. हरिद्वार रोड में पी.डब्ल्यू.डी.गेस्ट हाउस से गली नं0 2 तक नाली व टायल का निर्माण ।
4. हरिद्वार रोड में जयराम आश्रम से पी.डब्ल्यू.डी.गेस्ट हाउस तक नाली व टायल्स का निर्माण ।
5. वार्ड में गोविन्द वाटिका का सौन्दर्यकरण व जिम लगाया जाना ।
6. हीरालाल मार्ग पर नाली निर्माण व क्षतिग्रस्त सडकी मरम्मत कार्य ।
7. हीरालाल मार्ग पीपल के पेड शिवमन्दिर से ट्रॉसफार्मर तक नाले का निर्माण ।
8. हीरालाल मार्ग पर ट्रॉसफार्मर के पास शौचालय व मूत्रालय का निर्माण ।
9. हीरालाल मार्ग पर दीपक डीजे वाले के यहाँ से पुरानी चुंगी तक नाले का निर्माण ।
10. हीरालाल मार्ग पर दीपक डीजे वाले के यहाँ से पुरानी चुंगी तक टायल्स का निर्माण ।
11. साईं विहार कालोनी में समस्त क्षेत्र सडको व नाली का निर्माण ।
12. साईं विहार कालोनी में द्वार का निर्माण ।
13. क्षेत्र के खाली प्लाटों को सफाई व बाँउन्डीवाल बनाने के नोटिस जारी करना न मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किया जाना ।
14. बहत्तर सीढी के पास टाईल्स का निर्माण कर सौन्दर्यकरण किया जाना ।
15. क्षेत्र में हॉटमिक्स वाली सडको को बनाया जाना ।
16. ट्रैचिंग्राउन्ड से गन्दगी कब तक हटेगी तथा फाइल कॅहा तक पहुँची पर बैठक में चर्चा किया जाना ।

बिन्दु 1-12 व 13-15 सर्वसम्मति से स्वीकार । बिन्दु 13 पर कार्यवाही के समय जानकारी हेतु पार्षदों का सहयोग भी लिया जाय । बिन्दु 16 व्यापक चर्चा की गई ,जिसमें कर अधीक्षक द्वारा बताया गया कि गोविन्दनगर अवस्थित लीगेसीवेस्ट के निस्तारण हेतु डी.पी.आर. व निविदा प्रपत्र तकनीकि वित्तीय

अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया जा चुका है । अनुमोदन प्राप्त होने पर यथाशीघ्र निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर लीगेसीवेस्ट निस्तारण कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

प्रस्ताव संख्या 46 – श्रीमति पुष्पा मिश्रा पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं० 01 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. राजेश पुण्डीर की दुकान से भोला की दुकान तक सी०सी० सडक, दोनो ओर नाली व स्लैव निर्माण ।
2. हनुमान मन्दिर से राधे की दुकान तक सी०सी० सडक, दोनो ओर नाली व स्लैव निर्माण ।
3. भट्ट जी के बगल वाली दोनों गलियों में सी०सी० सडक, दोनो ओर नाली व स्लैव निर्माण ।
4. रावत जी के स्कूल के निकट सी०सी० सडक, दोनो ओर नाली व स्लैव निर्माण ।
5. राजभर जी के यहाँ, गली नं० 8 के बाहर डाक्टर साहब के यहाँ, भोला के यहाँ व कँचन राजभर के यहाँ 1-1 स्लैव निर्माण ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 47 – श्रीमति लक्ष्मी रावत पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं० 32 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. गली नं० 2 में श्री अर्जुन मलिक के मकान से श्री मनोज बिष्ट के मकान तक शाखा गलियों सहित दोनो ओर नालियों का निर्माण एवं मरम्मत ।
2. गली नं० 2 में आवादी के बीच में लगे विद्युत ट्रॉसफार्मर हटाया जाना ।
3. गली नं० 3 में श्री रघुवीर सिंह राणा के मकान से श्री स्वरूप सिंह बिष्ट के मकान तक एवं शाखा गलियों में नालियों का निर्माण ।
4. वार्ड में 5 विद्युत पोल लगाया जाना ।
5. मीराबेन द्वार से प्राथमिक विद्यालय तक सडक के दोनो ओर फुटपाथ निर्माण ।

बिन्दु 1 एवं 3 से 5 सर्वसम्मति से स्वीकार । बिन्दु 2 के लिए विद्युत विभाग को पत्र भेजा जाय ।

प्रस्ताव संख्या 48 – श्री बृजपाल राणा, पूर्व सभासद, श्री प्यारे लाल जुगरान पुर्व उपाध्यक्ष न०पा०प० ऋषिकेश का पत्र जो श्रीमति उमा बृजपाल राणा पार्षद वार्ड सं० 20 एवं श्रीमति रामअवतारी सुमित पंवार पार्षद वार्ड सं० 19 द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत है बावत अमर शहीद रावत की स्मृति में शहर के किसी निर्विवाद उचित स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण वास्ते विचार एवं निर्णय ।

प्रस्ताव पूर्व स्वीकृत है, शहीदों का स्मारक बनाते समय सम्मिलित किया जायेगा ।

प्रस्ताव संख्या 49 – श्री गौरव कौशिक पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं० 34 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. गली नं० 1 में सडक व नाली निर्माण ।
2. गली नं० 1 में पानी की पाइप लाइन डालना ।
3. गली नं० 2 में सडक व नाली निर्माण ।
4. गली नं० 7 में सडक व नाली निर्माण ।
5. अमित ग्राम गली नं० 3 वार्ड नं० 34 में नाली निर्माण ।
6. अमित ग्राम गली नं० 4 वार्ड नं० 34 में नाली निर्माण ।
7. गली नं० 6 में सडक व नाली निर्माण ।
8. गली नं० 9 में नाली निर्माण ।

बिन्दु 2 के लिए जल संस्थान को पत्र भेजा जाये । शेष बिन्दु सर्वसम्मति से स्वीकार ।
प्रस्ताव संख्या 50 – श्री राकेश सिंह पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं० 12 एवं अन्य स्थानों में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. बरसात में उगने वाली झाडियों एवं घास को काटने हेतु शीघ्र ही मशीन क्य की जाये ।
2. बिजली के पोल शीघ्र मंगाये जाये ।
3. वार्ड सं० 12 में क्षतिग्रस्त नालियों व सडकों की मरम्मत किया जाना ।
4. राज्य आन्दोलनकारी कार्यालय/शहीद स्मारक हेतु भूमि/भवन दिये जाने के संबन्ध में ।
5. टिहरी विस्थापित आमबाग क्षेत्र को नगर निगम में सम्मिलित किया जाना ।
6. दिल्ली बद्रीनाथ मुख्य मार्ग तहसील चौक के पास सडक के बीचोबीच व दोनो किनारे गड्ढे बने हुए है,और नालियां टूटी पडी हैं जिसके कारण हर समय दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है, इसका शीघ्र पुनर्निर्माण व डिवाइडर निर्माण के पत्र भेजा जाय ।

बिन्दु 1 एवं 3 सर्वसम्मति से स्वीकार ।

बिन्दु 2 पर विद्युत विभाग को पत्र लिखते हुए वस्तुस्थिति ज्ञात कर ली जाय,तदनुसार कार्यवाही की जाय ।

बिन्दु 4 हेतु भूमि चिन्हित की जाय ।

बिन्दु 5 सर्वसम्मति से स्वीकार, शासन को पत्र लिखा जाय ।

बिन्दु 6 हेतु पी०डब्ल्यू०डी० को पत्र भेजा जाय ।

प्रस्ताव संख्या 51 – श्री देवेन्द्र प्रजापति पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं० 5 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. कुम्हारबाडा आई.एस.बी.टी.रोड गली नं0 1 में सडक व नाली निर्माण ।
2. कुम्हारबाडा सुदामा मार्ग स्थित सामुदायिक केन्द्र का विस्तारीकरण करने तथा लोगो के बैठने हेतु कुर्सी आदि की व्यवस्था करना ।
3. वार्ड सं0 5 स्थित सभी हापचकों की मरम्मत का कार्य ।
4. चन्द्रभागा पुल से डा0 राकेश मोहन की गली तक बन्धे वाली रोड पर किनारे-किनारे फुटपाथ पर टाइल्स लगाने का कार्य ।
5. सुदामा मार्ग गली नं0 1 में सी0सी0सडक व नाली निर्माण ।
6. बाजार का अतिक्रमण रेलवे रोड पर बिना मानकों के है जिसमें होटल इत्यादि है ।

बिन्दु 1-5 सर्वसम्मति से स्वीकार ।

बिन्दु 6 हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 एवं एम.डी.डी.ए.को पत्र भेजा जाय । नाली के ऊपर एवं छज्जों के अतिक्रमण पर निकाय स्तर से कार्यवाही की जाय ।

प्रस्ताव संख्या 52 – श्रीमति राधा रमोला पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 22 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. सोमेश्वर नगर गली नं0 2 कमलेश्वर महादेव में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण ।
2. एकता विहार में सडकों का निर्माण ।
3. उग्रसैन नगर में मोनिक वैल स्कूल के पास सडकों तथा नालियों का निर्माण ।

बिन्दु 1-3 सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 53 – श्री विपिन पन्त पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 35 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. अमित ग्राम मुख्य मार्ग का चौडीकरण हेतु संबन्धित विभाग को निर्देशित किया जाना ।
2. नगर निगम के प्रांगण में ऋषिकेश के 7 शहीदों श्री सूरत सिंह नेगी , श्री मातवर सिंह राणा ,कैप्टन अमित सेमवाल , श्री मनीष थापा ,श्री विकास गुरंग ,श्री हमीर पोखरियाल एवं श्री प्रदीप रावत की वीरगाथा एवं उनके चित्र लगाये जाना ।
3. अमित ग्राम में शहीद स्मारक के निकट सौन्दर्यकरण किया जाना ।
4. मुख्य मार्ग व गलियों में घूम रहे आवारा पशुओं के लिए कांजी हाउस का निर्माण ।
5. वीरभद्र रेलवे स्टेशन के समीप बने नाले के ऊपर स्लैप का निर्माण ।
6. अमित ग्राम व आन्तरिक गलियों में ए0बी0सी0विद्युत केबिल डालने के लिए संबन्धित विभाग को निर्देशित किया जाना ।
7. अमित ग्राम मुख्य मार्ग पर सडक की ओर झुके हुए पेड जो विद्युत तारों को छु रहे हैं की कटाई छंटाई हेतु संबन्धित विभागक को निर्देशित किया जाना ।

8. मन्सा देवी रेलवे फाटक के समीप चौक सौन्दर्यकरण ।
9. अमित ग्राम गली नं0 33 में नाली निर्माण ।

बिन्दु 1,6 व 7 के लिए संबन्धित विभाग को पत्र भेजा जाये ।

बिन्दु 2 नगर निगम स्थित शहीद स्तम्भ जहाँ पर अमर शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति लगी है वहाँ पर शहीद स्मारक बनाना सर्वसम्मति से स्वीकार ।

बिन्दु 3, 4, 5, 8, व 9 सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 54 – श्री विपिन पन्त पार्षद एवं 5 अन्य सम्मानित पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र बावत शाखा कार्यालय खुलने के उपरांत निम्न लिखित मांगों के संबन्ध में विचार एवं निर्णय ।

1. नगर निगम में सम्मिलित किये गये क्षेत्रों के परिवारों के नाम वार्ड के अनुसार नगर निगम के दस्तावेजों में दर्ज किये जायें ।
2. नगर निगम के शाखा कार्यालय में होने वाली नियुक्तियों में स्थानीय क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता दी जाये ।
3. वार्डों की भूमि का सीमांकन किया जाय ।
4. वार्डों की गलियों को अतिशीघ्र निगम के अनुसार नम्बर दिये जायें ।
5. क्षेत्र में हो रहे भवन निर्माण,जल संयोजन,विद्युत संयोजन की अनुमति स्थानीय पार्षद की संस्तुति पर हो ।
6. नगर निगम के शाखा कार्यालय में सी0सी0टी0वी0लगवाये जायें ।
7. ग्राम पंचायत के द्वारा नगर निगम को सौंपे गये सामान की सूची उपलब्ध कराई जाये ।
8. नगर निगम शाखा कार्यालय में सफाई निरीक्षक की तैनाती हो तथा सफाई से संबन्धित सभी उपकरण फागिंग मशीन,सैनेटाजर मशीन,दवाइयां आदि उपलब्ध हों ।

बिन्दु 1- नगर निगम में लागू नहीं है इसलिए निरस्त ।

बिन्दु 2 शाखा कार्यालय हेतु जबकभी भी चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति होगी तो उस समय विचार किया जा सकता है ।

बिन्दु 3, 4, 6, 7 व 8 सर्वसम्मति से स्वीकार ।

बिन्दु 5 वर्तमान में सम्बन्धित विभागों की प्राधिकृता होने के कारण प्रस्ताव निरस्त ।

बिन्दु 8 के लिए संबन्धित विभागों को पत्र भेजा जाये ।

प्रस्ताव संख्या 55 – श्री विपिन पन्त पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 35 अमित ग्राम (पूर्व) में मुख्य मार्ग पर फुटपाथ का निर्माण किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 56—श्री विपिन पन्त पार्षद का प्रस्ताव बावत राजकीय इन्टर कालेश आई0डी0पी0एल0वीरभद्र का नाम कीर्ति चक्र प्राप्त शहीद अमित सेमवाल के नाम से किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

सर्वसम्मति से स्वीकार । शासन को पत्र लिखा जाय ।

प्रस्ताव संख्या 57 – श्री विपिन पन्त पार्षद का प्रस्ताव बावत वीरभद्र रेलवे स्टेशन के समीप ओवर ब्रिज बनवाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

सर्वसम्मति से स्वीकार । शासन को पत्र लिखा जाय ।

प्रस्ताव संख्या 58 – श्रीमति अनिता रैना पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 19 में निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. टी.एच.डी.सी.की ओर से आने वाला नाला जो निरंकारी भवन के पास सडक में बह रहा है ,नाले एवं निरंकारी भवन के सामने वाली सडक का निर्माण ।
2. शान्तिनगर गली नं0 3 व 5 की सडक व नाली निर्माण ।
3. अपर गंगानगर गली नं0 20 की सडक व नाली निर्माण ।
4. गुल्हाटी प्लाट में अशोक पाल के घर से डा0 तिवारी के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
5. चूना भट्टा मार्ग में विक्रम पाल के घर से गली नं0 13 व 14 तक सडक व नाली निर्माण ।
6. बनखण्डी में गली नं0 10 व 11 सडक व नाली निर्माण ।
7. वार्ड नं0 19 में गली नम्बर व नाम के बोर्ड लगाना ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 59 – श्री भगवान सिंह पंवार पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 11 में निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. श्री दवाण जी के घर से डेवरानी जी के घर तक नाली निर्माण ।
2. श्री अशोक कुमार जी के घर से दवाण जी के घर तक सडक निर्माण ।
3. ऋषिलोक कालोनी में रतूड़ी जी के घर से पालीवाल जी के घर तक सडक निर्माण ।
4. ऋषिलोक कालोनी में रावत जी के घर से पाण्डे जी के घर तक सडक व नाली निर्माण ।
5. गली नं0 18 आशुतोष नगर में नाली निर्माण ।

6. बी0आर0ओ0कैम्प से गली नं0 5 तक सड़क किनारे टाइल्स लगाना ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 60 – श्री मनीष बनवाल पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 7 में निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. काले हनुमान मन्दिर से लेकर नावघाट स्थित काली मन्दिर तक आस्थापथ का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण हेतुफैन्सी लाइटे लगाना एवं वाल पेन्टिंग के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर सैल्फी प्वाइन्ट बनाया जाय एवं वृक्षारोपण किया जाय ।
2. सम्पति सं0 137/232ए जिस पर विगत कई वर्षों से सिंचाई विभाग द्वारा एक गोदाम बनाया गया है जिसका कोई उपयोग नहीं है उसे निगम द्वारा अधिग्रहण कर बहुमंजिला सामुदायिक भवन का निर्माण ।
3. नगर निगम क्षेत्र में जितने भी सामुदायिक भवन एवं सार्वजनिक सम्पति ,पुस्तकालय,सार्वजनिक क्लब स्थित हैं उन सभी को नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर अपनी तालाबन्दी करें । यदि कोई संस्था या व्यक्ति उक्त सम्पति पर किसी तरह की कोई गतिविधि करना चाहता है तो तय समय के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया जाय ताकि उक्त सम्पति का रखरखाव उस शुल्क से हो सके ।
4. सुभाष विश्वास के घर से लेकर श्री सुबल चन्द्रकर जी के घर तक भूमिगत नाली का निर्माण एवं सी0सी0 सड़क गली का निर्माण ।
5. हाउस टैक्स की अन्तिम तिथि को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया जाना ।
6. निगम में निर्माण विभाग में कार्यरत पर्यवेक्षक श्री संदीप रतूड़ी को ड्राफ्ट्समैन के पद नियुक्त किया जाय ।
7. निगम की पथप्रकाश की शिकायतों के निस्तारण हेतु एक वाहन क्रय किया जाय ।
8. कूड़ा वाहन बढ़ाये जायें ।

बिन्दु 1 सैल्फी प्वाइन्ट को छोड़कर अन्य स्वीकृत ।

बिन्दु 2 पर संबन्धित विभाग को प्रस्ताव भेजा जाय । बिन्दु 3 परीक्षणोपरान्त विचार किया जायेगा ।

बिन्दु 6 आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है ।

बिन्दु 4, 5, 7 व 8 सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 61 – श्री मनीष शर्मा पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 10 में निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन पूर्व की भाँति दिये जाने के संबन्ध में ।

2. देहरादून रोड पर जी0जी0आई0सी0 से कोतवाली तक दाईं तरफ के नाले की मरम्मत व जाल लगाना ।
3. शहीद नागेन्द्र सकलानी पार्क की चारदीवारी व उसमें लगे आउटडोर जिस को सुचारू किये जाने ।
4. डोभाल जी के घर के सामने नाली निर्माण ।
5. नितिन गुप्ता जी के घर के सामने नाली के ऊपर क्षतिग्रस्त दोनो कासिंग का निर्माण ।
6. रामबाबू गोयल जी की गली में नाली निर्माण ।

बिन्दु 1 के संबन्ध में लेबर कोर्ट में वाद चल रहा है ,निस्तारण उपरान्त विचार किया जायेगा ।

बिन्दु 2-6 तक सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 62 – श्रीमति पुष्पा मिश्रा पार्षद का प्रस्ताव बावत जल संस्थान को नगर निगम में शामिल किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

जल संस्थान को नगर निगम में सम्मिलित किया जाय ,सर्वसम्मति से स्वीकार । अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जाये ।

प्रस्ताव संख्या 63 – श्रीमति शकुन्तला शर्मा पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड नं0 4 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. वार्ड नं0 4 में चन्द्रभागा पुल से चौदहबीघा जाने वाले तटबन्ध के किनारे सुरक्षा की दृष्टि से जाल लगाया जाना ।
2. चौदहबीघा मारुति शोरूम के पास जेन्ट्स शौचालय का निर्माण ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 64 – श्री शौकत अली पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड नं0 27 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. बैराज कालोनी के बिजलीघर से सोनू के घर तक सड़क व नाली निर्माण ।
2. गली नं0 डी-1 से डी-18 तक सड़क व नाली निर्माण ।
3. शिवजी नगर में गली नं0 3, 9, 10, 12 व 13 में सड़क व नाली निर्माण ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 65 – श्रीमति उमा बृजपाल राणा पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड नं0 20 हनुमन्तपुरम गली नं0 9 में सड़क व नाली निर्माण कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 66 – श्रीमति उमा बृजपाल राणा पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड नं0 20 गंगानगर में सफाई कार्य हेतु कर्मचारी बढ़ाये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

सर्वसम्मति से स्वीकार । जिस क्षेत्र में कर्मचारी अधिक हों वहाँ से व्यवस्था की जाय ।

प्रस्ताव संख्या 67 – श्रीमति शारदा पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड नं0 40 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. जोशी जी के घर से शेर सिंह जी के घर तक नाला, सड़क व नाली निर्माण ।
2. सेलटैक्स कार्यालय के पीछे वाली सी0सी0सड़क निर्माण ।
3. मनेरी भाली गेट से टाउजर के घर के आगे तक सड़क व नाली निर्माण ।
4. न्यूईरा पब्लिक स्कूल के पास से टी.एच.डी.सी.गेट नं0 1 तक सड़क के दोनों ओर फुटपाथ का निर्माण ।
5. टी.एच.डी.सी.गेट नं0 4 से परिवहन कार्यालय तक फुटपाथ का निर्माण ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 68 – श्री प्रभाकर शर्मा पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड नं0 15 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. अद्वैत्यानन्द मार्ग पर सेलटैक्स आफिस से लेकर नगर निगम आवास तक सड़क निर्माण ।
2. रेलवे रोड गली नं0 2 क्षतिग्रस्त रोड का निर्माण ।
3. हीरा समोसे वाले से लेकर महिला आश्रम तक क्षतिग्रस्त रोड का निर्माण ।
4. मनीराम मार्ग गली नं0 2 पर क्षतिग्रस्त नाली का निर्माण ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 69 – श्री लव काम्बोज पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड नं0 28 में निम्नलिखित कार्य कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. वीरपुर खुर्द वार्ड नं0 28 में 20 बिजली के पोल की व्यवस्था ।
2. गली नं0 3 में रम्भा नदी के किनारे नगर निगम की भूमि पर पार्क व जिम का निर्माण ।
3. वीरपुर खुर्द मेन चौराहे एवं गंगा जी के किनारे हाई मास्ट लाइट लगाना ।
4. वीरपुर खुर्द में स्वच्छता के तहत वाल पेंटिंग अभियान चलाकर दीवारों पर पेंटिंग एवं स्लोगन आदि से स्वच्छता के प्रति जागरूक करना ।

सर्वसम्मति से स्वीकार । बिन्दु 2 पर भूस्वामित्व स्पष्ट होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रस्ताव संख्या 70 – श्री शिव कुमार गौतम पार्षद का प्रस्ताव बावत सदन के माध्यम से निगम में गरीब जनता को मकान बनाने व आवास योजना की जानकारी चाहने वास्ते विचार एवं निर्णय।

1. गरीब जनता को कब तक आवास मिल पायेंगे व कितने आवास बनाने की योजना है ?
2. गरीब जनता को आवास हेतु सरकार द्वारा सहायता दी जा रही थी या दी जानी है तो कब तक इस कार्य को पूर्ण किया जायेगा व कितने पात्र गरीब लोगो को रखा गया है ?

नगर आयुक्त के निर्देश पर कर अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सी. एल.एस.एस.(ऋण आधारित व्याज सब्सिडी) के अन्तर्गत 53 फार्म बैंको को प्रेषित किये जा चुके हैं। ए.एच.पी. (भागीदारी में किफायती आवास) के अन्तर्गत 94 फार्म सत्यापन हेतु निर्माण विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं। सी.एस.सी.(सिटीजन सर्विस सेन्टर) के अन्तर्गत 98 फार्म बैंको को प्रेषित किये जा चुके हैं। बी.एल.सी.(लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास के अन्तर्गत 5 फार्म प्राप्त। कार्यवाही गतिमान है। नगर आयुक्त द्वारा कहा गया कि इस संबन्ध में शीघ्र ही एक कार्यशाला बुलाई जायेगी जिसमें बैंक कर्मचारी एवं संबन्धित विभाग के कर्मचारी भी बुलाये जायेंगे।

प्रस्ताव संख्या 71 – श्रीमति उमा बृजपाल राणा पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड नं0 20 गणेशविहार गंगानगर में आर.पी.एस. स्कूल से श्री पन्नालाल जी के घर से होते हुए श्री भट्ट जी से गणेश विहार गली नं0 3 में सड़क निर्माण कराये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

पार्षद महोदया द्वारा बताया गया कि यह अति आवश्यक कार्य है इसे प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय। सर्वसम्मति से स्वीकार।

प्रस्ताव संख्या 72 – श्री अजीत सिंह पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 16 में निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

1. वार्ड की सभी नालियों का निर्माण।
2. तिलक मार्ग गली नं0 4, 5 व 6 में सड़क निर्माण।
3. व्यावसायिक भूकर की दरों में 50 प्रतिशत तक की छूट दिया जाना।

बिन्दु 1 व 2 सर्वसम्मति से स्वीकार। बिन्दु 3 पर विचार हो चुका है अतः निरस्त।

प्रस्ताव संख्या 73 – श्री शिव कुमार गौतम पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं0 17 में गोविन्द नगर, सांई विहार, गंगाविहार, आवास विकास, गैरोला नगर, हरिद्वार रोड़, वीरभद्र मार्ग व

आस्थापथ आदि क्षेत्रों में सी०सी०टी०वी० शीघ्र लगाये जाने व आस्थापथ का सौन्दर्यकरण व आउटलेट की व्यवस्था किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 74 – श्रीमति तनु विकास तेवतिया पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं० 24 भरत विहार में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

सर्वसम्मति से स्वीकार । प्रथम चरण में सार्वजनिक चौराहों पर ही सी.सी.टी. वी. लगाये जायेंगे ।

प्रस्ताव संख्या 75 – श्री लव काम्बोज पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड सं० 28 में निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. कृष्णा नगर कालोनी की भौति विस्थापित कालोनी निर्मल ब्लॉक ए ,बी व आमबाग में पथ प्रकाश की व्यवस्था ।
2. वीरपुर खुर्द गली नं० 6, 9 व 10 में नाली निर्माण ।
3. गील नं० 5 में श्री बॉके लाल जी के घर से अरूण जी के घर तक गद्दों व नाली का निर्माण ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 76 – श्री जयेश राणा पार्षद का प्रस्ताव बावत निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. नये जुडे वार्डों में हो रहे नवनिर्माण कार्य (घर,होमस्टे) बिना अनुमति न होने दिये जायें ।
2. शिवाजी नगर मुख्य द्वार से सटे मेडिकल स्टोरके द्वारा आवगमन में बाधा उत्पन्न की जा रही है अवैध अतिक्रमण हटवाकर सडक का चौडीकरण कराया जाय ।

बिन्दु 1 के संबन्ध में एम.डी.डी.ए. को पत्र भेजा जाय ।

बिन्दु 2 के संबन्ध में उपजिलाधिकारी ऋषिकेश को सम्पति के स्वामित्व एवं पब्लिक न्यूसेंस के आधार पर कार्यवाही हेतु पत्र भेजा जाय ।

प्रस्ताव संख्या 77 – श्री विपिन पन्त पार्षद का प्रस्ताव बावत अमित ग्राम वार्ड नं० 35 में निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. गली नं० 23 में नाली निर्माण ।
2. गली नं० 12 में नाली निर्माण ।
3. गली नं० 15 में नाली निर्माण ।
4. गली नं० 28 में नाली निर्माण ।
5. गली नं० 30 में नाली निर्माण ।
6. गली नं० 22 में नाली निर्माण ।
7. गली नं० 17 में नाली निर्माण ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 78 – श्री राजेन्द्र प्रेम सिंह बिष्ट पार्षद का प्रस्ताव बावत इन्द्रानगर वार्ड नं0 38 में निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. जल संस्थान कार्यालय के सामने खाली पडी भूमि पर सामूदायिक भवन का निर्माण ।
2. ऑगनवाडी केन्द्र स्थापित किया जाना ।
3. अँकुर गैस एजेन्सी के पास सडक के दोनो ओर नाली निर्माण ।
4. गली नं0 1 व 2 में सडक निर्माण ।
5. इन्द्रानगर के 4 विभिन्ना चौराहों और तिराहों पर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाना ।

बिन्दु 2 के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र भेजा जाय ।
शेष बिन्दु सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 79 – श्रीमति रीना शर्मा पार्षद का प्रस्ताव बावत चन्द्रभागा पुल से त्रिवेणीघाट जाने वाले मार्ग पर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी महाराज स्मृति द्वार का निर्माण किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

सर्वसम्मति से स्वीकार बशर्ते कि भूमि का स्वामित्व निगम का हो ।

प्रस्ताव संख्या 80 – श्री आशा राम भट्ट लाइनमैन पथ प्रकाश विभाग का पत्र जो निगम के 13 सम्मानित पार्षदों द्वारा संस्तुत है बावत कार्य का विभाजन सभी लाइनमैनों में समान रूप से विभाजन वास्ते विचार एवं निर्णय ।

सर्वसम्मति से स्वीकार । नगर आयुक्त द्वारा सदन को बताया गया कि प्रशासनिक आधार पर जनहित में कार्यवाही की जायेगी ।

प्रस्ताव संख्या 81 – श्री जगत सिंह नेंगी पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड नं0 39 नेहरूग्राम में निम्नलिखित आवश्यक कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. श्री गब्बर पंवार के यहाँ से अमित जी के घर तक नाला निर्माण ।
2. श्री घनश्याम अग्रवाल जी के घर से राजू बहुगुणा जी के घर तक नाले का निर्माण ।
3. श्री कुशलानन्द थपलियाल जी के घर की गली में टाइल्स व नाली का निर्माण ।
4. गली नं0 3 में मुख्य पुलिया का निर्माण ।
5. श्री दिनेश जी के घर से उमेश अग्रवाल जी के घर तक सडक व नाली का निर्माण ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 82 – श्री जयेश राणा पार्षद का प्रस्ताव बावत निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

1. नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़ने पर निर्माण विभाग में एक अन्य सहायक अभियन्ता की पोस्ट बढ़ाया जाना।
2. शिवाजीनगर वार्ड में एम्स से लेकर तेजपाल की दुकान तक नाले का निर्माण।
3. शिवाजीनगर में विक्रम सिंह रावत के घर से राजीव राणा के घर तक नाली निर्माण।
4. शिवाजी नगर मुख्य मार्ग एम्स से मुर्गीफार्म तिराहे तक सडक का चौडीकरण व निर्माण।

बिन्दु 1 के लिए शासन को पत्र भेजा जाये। शेष बिन्दु सर्वसम्मति से स्वीकार।

प्रस्ताव संख्या 83 – श्री शिव कुमार गौतम पार्षद का प्रस्ताव बावत साईं विहार में गुरु जी श्री यमुना प्रसाद त्रिपाठी जी वाली गली में भूमिगत नाली व सडक निर्माण किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

सर्वसम्मति से स्वीकार।

प्रस्ताव संख्या 84 – श्रीमति रीना शर्मा पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड नं0 9 में निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

1. सब्जी मण्डी देहरादून रोड से सरदार जी के घर तक नाली व सडक निर्माण।
2. लाजपतराय मार्ग से सहारनपुर वाली धर्मशाला तक सडक व नाली निर्माण।
3. पप्पू लस्सी से लेकर तायल की दुकान तक सडक व नाली निर्माण।
4. दादूबाडा नाले में ह्यूम पाइप का निर्माण।
5. हरिद्वार ररोड से शम्भूबाडा तक नाली व सडक निर्माण।
6. क्षेत्र रोड, लाजपतराय मार्ग, मेन बाजार में नाली व जाल निर्माण।

सर्वसम्मति से स्वीकार।

प्रस्ताव संख्या 85 – श्रीमति रीना शर्मा पार्षद का प्रस्ताव बावत कोरोना के चलते छोटी सब्जी मन्डी व्यापरी हटा दिये गये थे उचित स्थान न मिलने तक सोसियल डिस्टेंस अपनाते हुए उसी स्थान पर सब्जी व्यापारियों की व्यवस्था किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय।

नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त स्थान एक संकरी गली होने तथा कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत वहाँ पर मन्डी स्थापित नहीं की जा सकती । शीघ्र ही मन्डी के लिए वैन्डिंग जोन के तहत व्यवस्था की जा रही है । अतः प्रस्ताव निरस्त ।

प्रस्ताव संख्या 86 – श्री शिवकुमार गौतम पार्षद का प्रस्ताव जो निगम के 28 सम्मानित पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित है बावत स्वकर प्रणाली को स्थगित रखने हेतु अध्याचित बैठक बुलाकर विचार किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

पत्र निगम कार्यालय को प्राप्त हो चुका था किन्तु कोविड-19 के दृष्टिगत समुचित सुरक्षा प्रबन्ध करने उपरान्त ही बैठक संभव थी । अतः उक्त अध्याचित बैठक गतिमान बैठक में ही अन्तर्निहित , उक्त विषय के संबन्ध में प्रस्ताव सं0 23 में चर्चा हो चुकी है, इसे प्रस्ताव संख्या 23 में समायोजित समझा जाय ।

प्रस्ताव संख्या 87 – श्री विजेन्द्र मोघा पार्षद का प्रस्ताव बावत वार्ड नं0 37 में निम्नलिखित कार्य किये जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

1. वार्ड सं0 37 मंसादेवी स्थित प्राइमरी स्कूल को हाइस्कूल तक कराना ।
2. वार्ड में अधिकांश सडकें कच्ची हैं , जगह-जगह गढ्ढे होने के कारण पानी भर जाता है । गढ्ढों का भरान किया जाना ।
3. वार्ड बड़ा होने के कारण दो और सफाई कर्मचारी की व्यवस्था ।
4. वार्ड में 20 पोल लगाया जाना ।

बिन्दु 1 के लिए शिक्षा विभाग को पत्र भेजा जाय । बिन्दु 3 पर जॉच कराकर नियमानुसारकार्यवाही की जायेगी । शेष बिन्दु सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 88 – श्री गुरविन्दर सिंह पार्षद का प्रस्ताव बावत नगर निगम में सम्मिलित ग्राम सभा ऋषिकेश से आये क्षेत्र बापू ग्राम के अन्तर्गत मीरानगर ,बीसबीघा, सुमन विहार, बापू ग्राम, मालवीय नगर, गीतानगर मंसा देवी व अमित ग्राम को राजस्व ग्राम (क्षेत्र)किये जाने के लिए उत्तराखण्ड सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने वास्ते विचार एवं निर्णय ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार । शासन को पत्र भेजा जाय कि वन भूमि से स्वामित्व हटाकर राजस्व क्षेत्र की भाँति भूस्वामित्व प्रदान किया जाय ।

प्रस्ताव संख्या 89 – कार्यालय आख्या निर्माण अनुभाग बावत वार्ड नं0 17 हरिद्वार रोड से आस्थापथ पर 72 सढियों का जीर्णोद्धार कार्य का पूर्व स्वीकृत 5.50 लाख में विचलन आगणन 12.50 लाख व्यय वास्ते स्वीकृति ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 90 – कार्यालय आख्या निर्माण अनुभाग बावत वार्ड नं0 5 कुम्हारबाडा में सामूदायिक भवन एवं शौचालय का निर्माण की पूर्व स्वीकृत धनराशि 20.00 लाख में विचलन आगणन 30.00 लाख व्यय वास्ते स्वीकृति ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 91 – कार्यालय आख्या निर्माण अनुभाग बावत वार्ड नं0 37 मन्शादेवी में पुलिया के निर्माण की पूर्व स्वीकृत धनराशि 5.50 लाख में विचलन आगणन 11.50 लाख व्यय वास्ते स्वीकृति ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 92 – कार्यालय आख्या निर्माण अनुभाग बावत वार्ड नं0 36 गली नं0 27 में श्रीमति उर्मिला देवी के घर के समीप से अजय मोटर्स मुख्य मार्ग की ओर जाने वाली सडक/नाली के निर्माण कार्य की पूर्व स्वीकृत धनराशि 18.00 लाख में विचलन आगणन 32.00 लाख व्यय वास्ते स्वीकृति ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 93 – कार्यालय आख्या निर्माण अनुभाग बावत वार्ड नं0 6 बस अड्डे मे पुराने यात्रा ऑफिस का नवनिर्माण तथा इस पर दुकानों एवं अतिथिगृह का निर्माण वास्ते स्वीकृति ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 94 – कार्यालय आख्या निर्माण अनुभाग बावत वार्ड नं0 6 बस अड्डे मे टी0जी0एम0ओ0 में दुकानों एवं एवं यात्रा ऑफिस का निर्माण वास्ते स्वीकृति ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 95 – कार्यालय आख्या निर्माण अनुभाग बावत वार्ड नं0 15 नगर निगम कार्यालय में पार्किंग एवं कार्यालय तथा शॉपिंग काम्पलैक्स का निर्माण वास्ते स्वीकृति ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 96 – नगर निगम ऋषिकेश का लोगो वास्ते अनुमोदन ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 97 – नगर आयुक्त द्वारा सरकारी वाहन से देहरादून आवगमन की दशा में एक तरफ का किराया/व्यय स्वयं वहन करने का निर्णय वास्ते सूचनार्थ ।

नगर आयुक्त के इस निर्णय का सम्पूर्ण सदन द्वारा मेज थपथपा कर
स्वागत किया गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रस्ताव संख्या 98 – नगर निगम सीमान्तर्गत फल एवं सब्जी कृषि उत्पादों के दामों की ओवररेटिंग किये जाने की दशा में चालान कर नागरिकों को रियायती मूल्य पर वस्तुयें उपलब्ध कराने की कार्यवाही जिसमें मन्डी समिति ऋषिकेश द्वारा नगर निगम के साथ चर्चा उपरान्त सहमति व्यक्त की गई है वास्ते स्वीकृति ।

प्रत्येक फल /सब्जी उत्पाद जिसका मन्डी थोक मूल्य 17 रुपये प्रति किलो से ऊपर के रेट्स पर सर्वसम्मति से स्वीकार ।

अन्त में मेयर महोदया द्वारा सभी पार्षदों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई तथा सम्मानित सदन को विश्वास दिलाया कि वर्तमान में बजट की उपलब्धता के आधार पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यो को वरीयता प्रदान करते हुए कार्यवाही की जायेगी ।

ह0
(अनिता ममगाई)
महापौर
नगर निगम ऋषिकेश ।

कार्यवाही पढी गई , पुष्टि की गई ।

ह0
(अनिता ममगाई)
महापौर
नगर निगम ऋषिकेश ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

नगर आयुक्त
नगर निगम ऋषिकेश ।

कार्यालय-नगर निगम ऋषिकेश (देहरादून)

पत्रांक

/बैठक/2020-21

दिनांक: -2020

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-

सचिव शहरी विकास उत्तराखण्ड ,देहरादून ।

जिलाधिकारी देहरादून ।

पदेन सदस्य मा0 सांसद हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार ।

पदेन सदस्य मा0 विधायक विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश ।

समस्त पार्षदगण ,नगर निगम ऋषिकेश ।

समस्त अनुभाग न0नि0ऋषिकेश ।

नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

नगर आयुक्त
नगर निगम ऋषिकेश ।

नगर आयुक्त
नगर निगम ऋषिकेश ।

कार्यालय –नगर निगम ऋषिकेश (देहरादून)

पत्रांक / बैठक / 2019–20

दिनांक :

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ कि कृपया समय से बैठक में प्रति भाग करने का कष्ट करें ।

- 1.मा0 महापौर महोदया नगर निगम ऋषिकेश ।
- 2.समस्त पार्षद नगर निगम ऋषिकेश ।
- 3.नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

नगर आयुक्त
नगर निगम ऋषिकेश ।

बोर्ड प्र0सं030 दि0 30-7-2020
नगर निगम ःषिकेश ।

प्रस्ताव संख्या 30- कार्यालय आख्या कर अनुभाग बावत पूर्व में नगर पालिका परिषद द्वारा यूनियन लगाये जाने की 15 वर्षों हेतु दीगई अनुमति निरस्त करने एवं नये सिरे से टेन्डर की कार्यवाही किये जाने वास्ते स्वीकृति ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

नगर आयुक्त ,
नगर निगम , ःषिकेश ।

बोर्ड प्र0सं030 दि0 30-7-2020
नगर निगम ःषिकेश ।

प्रस्ताव संख्या 30— कार्यालय आख्या कर अनुभाग बावत पूर्व में नगर पालिका परिषद द्वारा यूनियोपल लगाये जाने की 15 वर्षो हेतु दीगई अनुमति निरस्त करने एवं नये सिरे से टेन्डर की कार्यवाही किये जाने वास्ते स्वीकृति ।

सर्वसम्मति से स्वीकार ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

नगर आयुक्त ,
नगर निगम ,ःषिकेश ।